भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

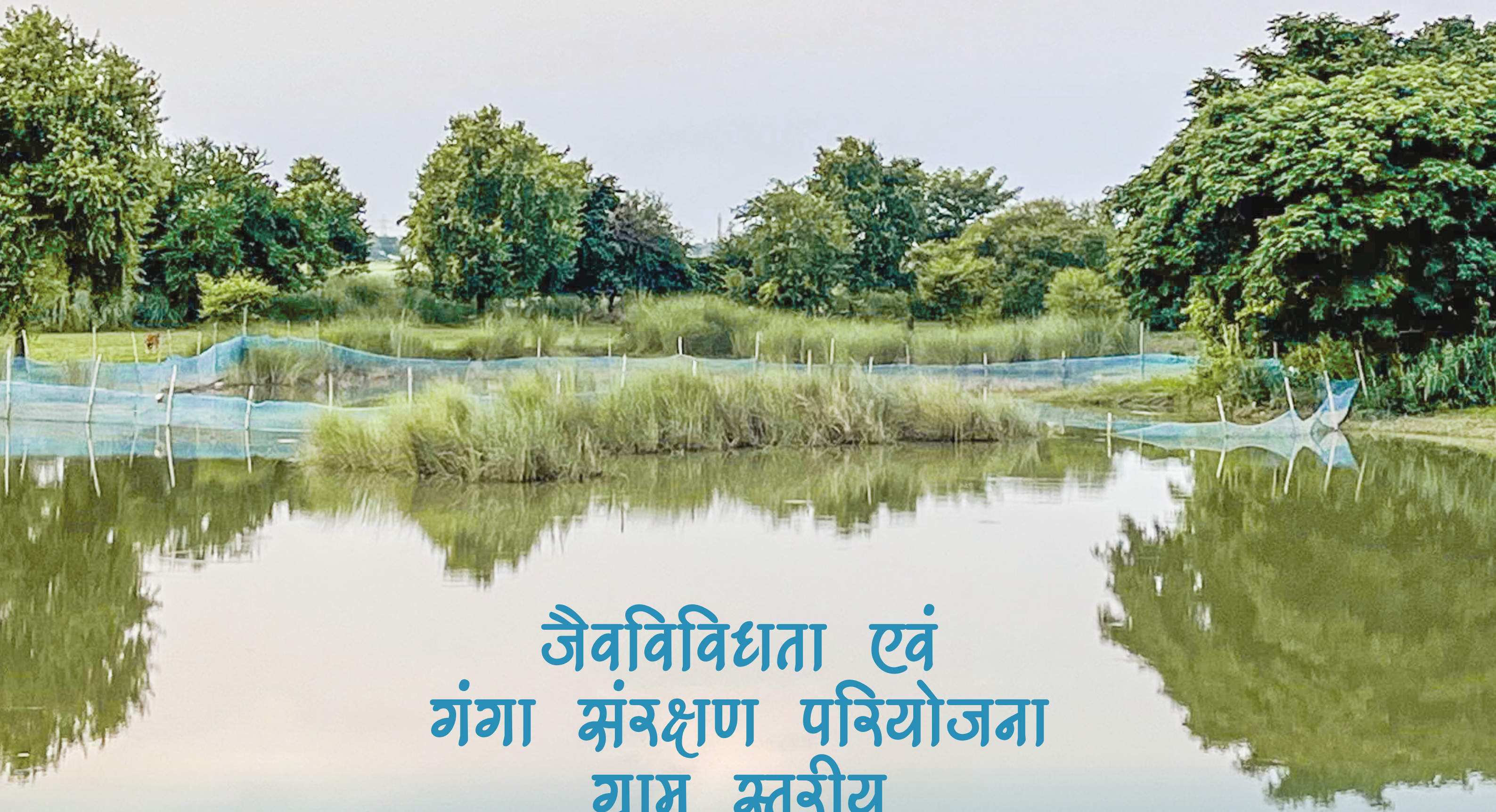

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम - नौवा अव्वल
विकासखंड - खोराबार
जनपद - गोरखपुर
राज्य - उत्तर प्रदेश

सम्पादन

डॉ0 रूचि बडोला

डॉ0 एस0 ए0 हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा

हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन

अभिमन्यु सिंह एवं गंगा प्रहरी टीम

टाइप सैटिंग

मानसी बिजल्वाण

डिजाइन

महेशानन्द पाण्डेय

फोटो क्रेडिट

एन0एम0सी0जी0 टीम

सम्पादकीय पता

भारतीय वन्यजीव संस्थान

पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी

देहरादून – 248001

उत्तराखंड, भारत

टेलिफोन संख्या – 0135 2640114–15, 2646100

फैक्स नं0 – 0135.2640117

ई –मेल – ruchi@wii.gov.in

वर्ष – 2024

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम	–	नौवा अव्वल
विकासखंड	–	खोराबार
जनपद	–	गोरखपुर
राज्य	–	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	–	रू0 19,85,000.00
क्रियान्वयन अवधि	–	5 वर्ष

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2024

विषय वस्तु

परिचय 01

भाग – 1 प्रस्तावना **03**

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना 03

भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण **04**

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण 04

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक 04

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया 04

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण 04

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय 05

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति 05

2.7 कृषि एवं पशुपालन 05

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण 06

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता 06

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण 06

2.11 समुदाय की राप्ती नदी पर निर्भरता 07

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी 07

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण 07

भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders) **08**

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक 08

भाग – 4 समस्या विश्लेषण **10**

4.1 समस्या विश्लेषण 10

भाग –5 नियोजन का उद्देश्य **12**

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ रणनीति तथा समन्वयन **14**

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ 14

6.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण 14

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ 14

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ 15

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ 15

6.6 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ 15

6.7 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ 15

6.8 जैवविविधता एवं आवास पुनर्स्थापन संबंधी गतिविधियाँ 16

6.9 मत्स्य जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ 16

6.10 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन 16

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण **17**

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण 17

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट 20

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 21

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व 21

7.5 विवाद का निपटारा 21

7.6 अभिलेखों का रखरखाव 21

7.7 सफलता के सूचक 22

अनुलग्नक **23**

1 समझौता ज्ञापन 23

2 सामाजिक मानचित्र 24

3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची 25

4 फोटो गैलरी 26

HIMACHAL PRADESH
UTTARAKHAND
HARYANA
Rapti River
Dumaree
डुमरी
राप्ती नदी
Nauwa Awwal
नौवा अवाल
समय माता मंदिर
(नौवा अव्वल)
Recently viewed
Dhaskee Khurd
धसकी खर्द
Dhaski
धसकी
Katrari Mus

मानचित्र

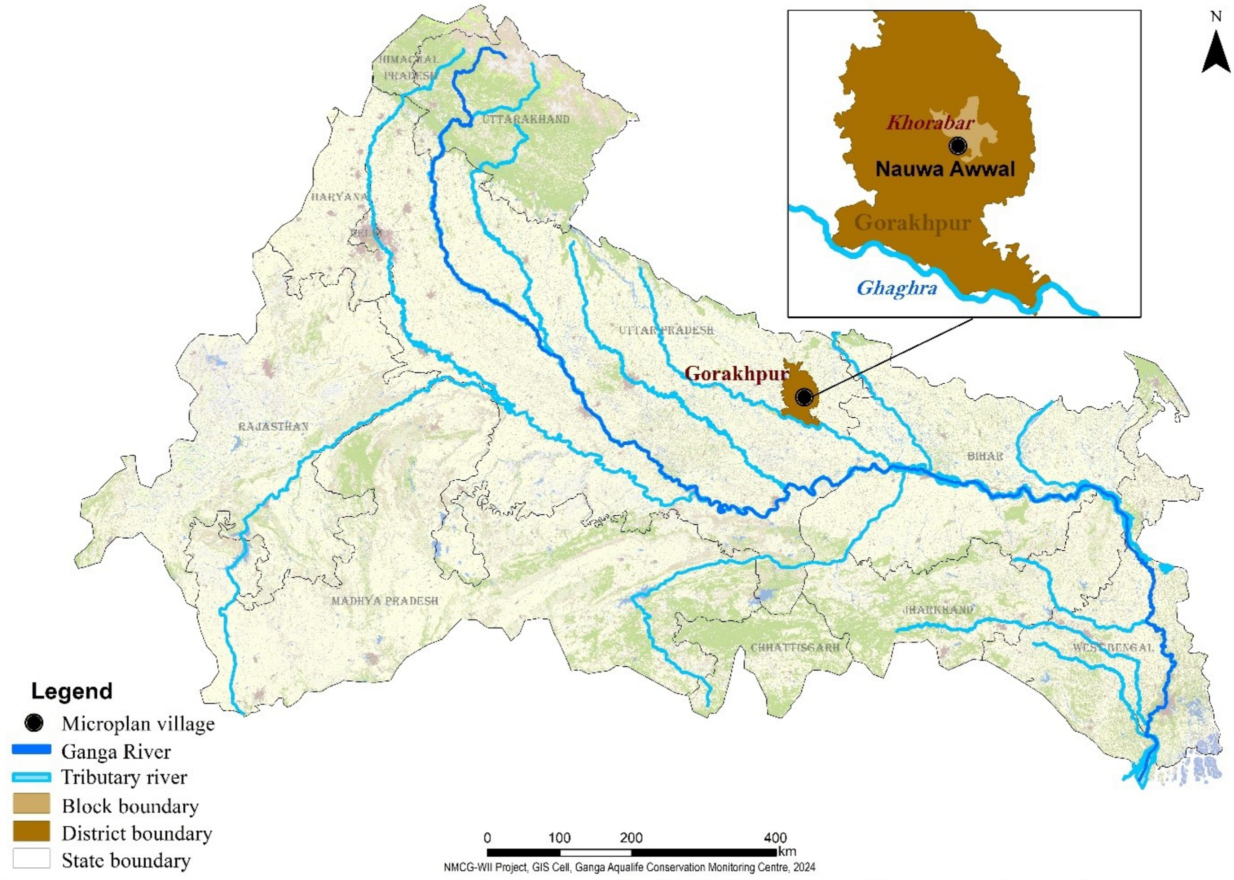

नौवा अव्वल

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनर्रूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा की सहायक नदियों में किया जा रहा है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत् (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

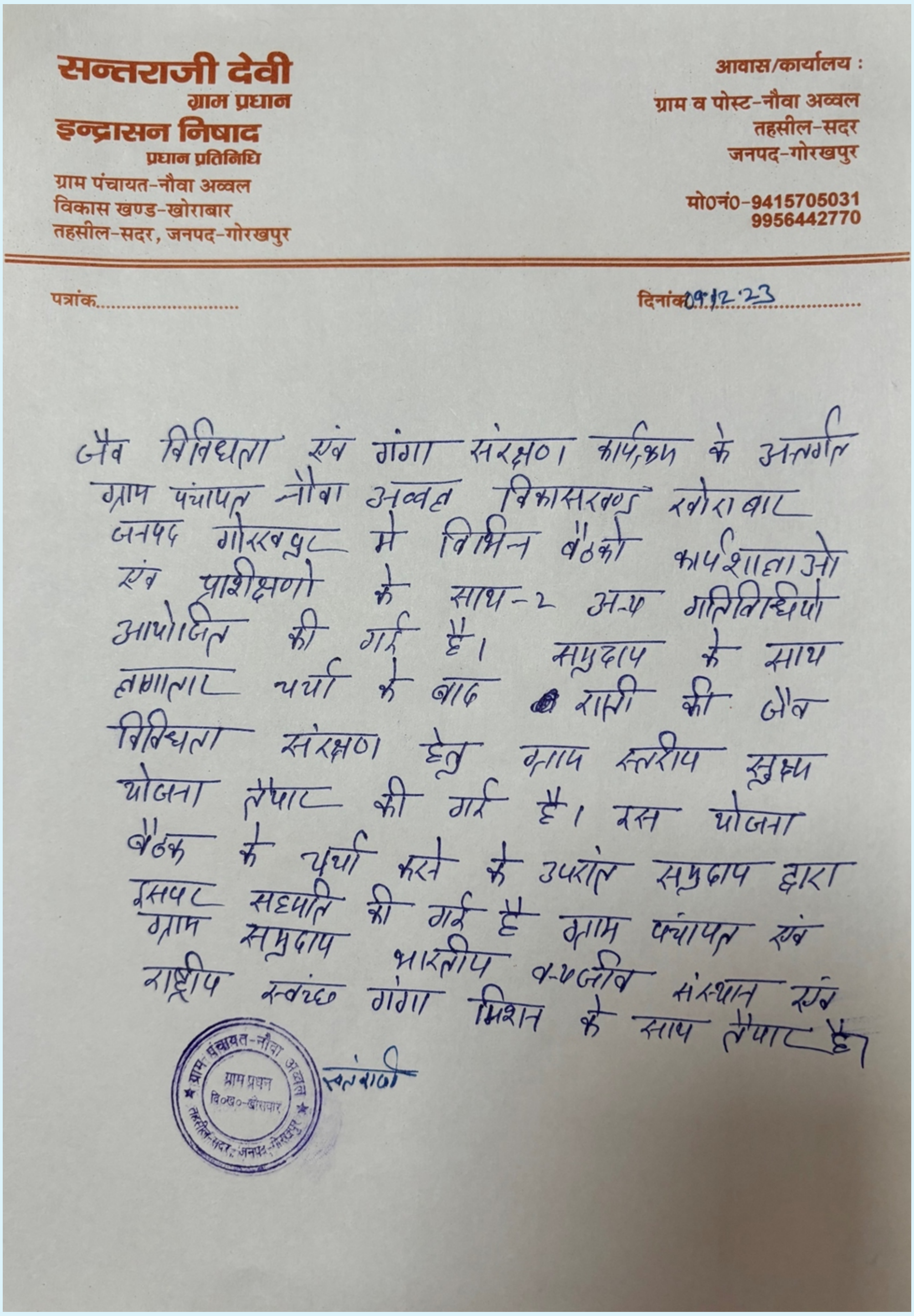

सन्तराजी देवी
ग्राम प्रधान
इन्द्रासन निषाद
प्रधान प्रतिनिधि
ग्राम पंचायत-नौवा अव्वल
विकास खण्ड-खोराबार
तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर

आवास/कार्यालय :
ग्राम व पोस्ट-नौवा अव्वल
तहसील-सदर
जनपद-गोरखपुर

मो0नं0-9415705031
9956442770

पत्रांक.........................   दिनांक 09.12.23

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नौवा अव्वल विकासखण्ड खोराबार जनपद गोरखपुर मे विभिन्न बैठको कार्यशालाओ एवं प्रशिक्षणो के साथ-2 अन्य गतिविधियां आयोजित की गई है। समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद राप्ती की जैव विविधता संरक्षण हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना तैयार की गई है। इस योजना बैठक के चर्चा करने के उपरांत समुदाय द्वारा इसपर सहमति की गई है ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ तैयार है।

ग्राम पंचायत-नौवा अव्वल, ग्राम प्रधान, वि०ख०-खोराबार, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर

सन्तराजी

नौवा अव्वल

भाग - 1 प्रस्तावना

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	मोलनापुर
अवस्थिति	अक्षांश 26.3755N एवं देशान्तर 83.255E
विकासखंड	खोराबार
जिला	गोरखपुर
राज्य	उत्तर प्रदेश
जिला मुख्यालय गोरखपुर से दूरी	18 कि0मी0
तहसील मुख्यालय से दूरी	18 कि0मी0
राप्ती नदी से दूरी	200 मी0
कुल जनसंख्या	7300
कुल परिवार	1400
मुख्य जातियां	सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
मुख्य समस्याएं	
	• शौचालयों की कम संख्या
	• जागरूकता का अभाव
	• नदी में दूषित जल का प्रवाह
	• कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग,
	• प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार
	• धार्मिक मूर्ति विसर्जन एवं पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना,
	• कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना,
	• आजीविका हेतु राप्ती नदी पर निर्भरता,
	• स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना,
प्रस्तावित गतिविधियाँ	
	• सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ
	• समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
	• आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ
	• स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ
	• वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ
	• कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ
	• पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ
	• मत्स्य जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ
	• जैवविविधता एवं आवास पुनर्स्थापन गतिविधियाँ

भाग -2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत नौवा अव्वल राप्ती नदी से 200 मी0 की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के विकासखंड खोराबार से 11 कि0मी0 दूर स्थित है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 18 कि0मी0 एवं राजधानी लखनऊ से 273 कि0मी0 है। नौवा अव्वल का पिनकोड 273016 है और डाकघर गाँव में ही स्थित है। ग्राम पंचायत चार टोलों में विभाजित है। इस संपूर्ण पंचायत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 411.78 हैक्टेयर है। गांव की कुल जनसंख्या 7300 है जिसमें से महिलाओं की संख्या 3700 तथा पुरुषों की संख्या 3600 है। यहाँ पर निषाद परिवारों की संख्या सबसे अधिक है।

ग्राम पंचायत में इस क्षेत्र का प्रसिद्व समयमाता का मंदिर है। जो एक प्राचीन मंदिर है। यह लोगों की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ पर आसपास के कई जिलों के लोग दर्शन हेतु आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आकर दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है।

2.2 ग्राम चयन के मानक

ग्राम नौवा अव्वल नदी के तट से लगभग 200 मी0 की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लोग निवास करते हैं। लगभग प्रत्येक परिवार राप्ती नदी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। जैवविविधता के क्षरण के प्रमुख कारकों में जागरूकता की कमी, नदी पर निर्भरता व पक्षियों का अवैध शिकार आदि शामिल है। ग्राम से लगी हुई राप्ती नदी में पाई जाने वाली जैवविविधता में डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुए, मछलियाँ, घड़ियाल तथा प्रवासी पक्षी आदि शामिल हैं। समूदाय को जलीय जीवों के महत्व के बारे जानकारी नहीं है जिस कारण जलीय जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव है।

ग्राम राप्ती नदी से कम दूरी पर स्थित होने के कारण, यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति जागरूकता की कमी परंतु कार्यक्रम मे रूचि होने के कारण ग्राम नौवा अव्वल को सूक्ष्म नियोजन हेतु चयनित किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

राप्ती नदी के किनारे बसे गाँवों का सामान्य पर्यवेक्षण, स्थानीय समुदायों से बातचीत, गोष्ठी, भौतिक सर्वेक्षण और समुदाय के साथ बैठकें करने एवं ग्राम प्रतिनिधियों से चर्चा करने के उपरान्त इस गाँव का चयन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। ग्रामीण लोगों को राप्ती नदी में पायी जाने वाली जलीय जीवों की प्रजाति एवं उनके महत्व के विषय में अधिक जानकारी नहीं है परंतु उनके बारे में जानने के लिये उत्सुकता है। उपरोक्त ग्राम में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम समुदाय के साथ बैठकें कर ग्राम की स्थिति को जाना गया व ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया गया साथ ही सूक्ष्म नियोजन और जैवविविधिता संरक्षण के बारे में चर्चा की गई।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत नौव्वा अव्वल में कुल 1400 परिवार निवास करते हैं, यहाँ की कुल जनसंख्या 7300 है। जिसमें 3600 पुरूष तथा 3700 महिलायें हैं। गाँव में निषाद समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति सामान्य जाति एवं मुस्लिम जाति के लोग निवास करते हैं। कुल परिवारों में से 90 परिवार सामान्य, 310 अनुसूचित जाति, 40 अनुसूचित जनजाति (गौड) और 960 पिछडी जाति के परिवार हैं। मल्लाह परिवारों की संख्या 500 है।

वर्तमान में यहाँ की कुल साक्षरता दर 47.94% है जिसमें से पुरूषों की साक्षरता दर 40% और महिलाओं की साक्षरता दर 29.72% है।

ग्राम पंचायत में 1 आंगनबाड़ी केन्द्र, 3 प्राथमिक विद्यालय, 4 माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव से 11 किमी0 तथा महाविद्यालय 12 किमी0 की दूरी पर स्थित है। नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6 किमी0 दूर बेलवार में व नजदीकी बैंक 5 किमी0 दूर मिर्जापुर में स्थित है।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

नौव्वा अव्वल ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय है। ग्राम पंचायत में 600 परिवार प्राथमिक रूप से कृषि तथा 300 परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं। 200 परिवार कृषि मजदूरी, 40 परिवार धार्मिक कार्यों, 70 परिवार प्राइवेट नौकरी में कार्यरत हैं। 45 परिवार स्वरोजगार, 35 परिवार मछलियों का शिकार कर अपनी आजीविका चलाते हैं तथा 80 परिवार नदी तट कृषि पर निर्भर हैं। 10 नाविक परिवार नाव चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। अन्य परिवार औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में मजदूरी का कार्य करके अपनी आजीविका कमाते हैं।

व्यवसायिक स्थिति

व्यवसाय	कुल परिवारों की संख्या	प्राथमिक	द्वितीयक	परिवारों का प्रतिशत
पशुपालन	300	212	88	21.42%
कृषि	600	460	140	42.85%
धार्मिक कार्य	40	23	17	2.85%
कृषि मजदूर	200	125	75	14.28%
मछली का शिकार	35	20	15	2.5%
नदी तट पर कृषि	80	60	20	5.7%
सरकारी/प्राइवेट नौकरी	70	45	25	5%
नाविक	10	7	3	0.71%
स्वरोजगार	45	23	22	3.21%
अन्य	20	12	08	1.42%

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ग्राम में पेयजल हेतु 170 सरकारी हैण्डपंप लगे हैं जिससे गांव की पेयजल व्यवस्था संचालित होती है। इसके साथ ही कुछ परिवारों द्वारा अपने निजी हैंडपंप (उथले) भी लगाये गये हैं साथ ही पेयजल लाइन का कार्य भी प्रगति पर है।

नौवा अव्वल ग्राम में केवल 800 परिवारों द्वारा निजी शौचालय का निर्माण कराया गया है। अन्य 600 परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं। ग्राम में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है परंतु सभी परिवारों द्वारा इन शौचालयों का उपयोग नहीं किया जाता है। जो लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं वो शौच हेतु नदी किनारे, खेत, बाँध या रास्ते के किनारे जाते हैं। लोगों में खुले में शौच से होने वाली बिमारियों के बारे में जानकारी का पूर्णतया अभाव है।

कूड़े के निस्तारण हेतु ग्राम में कोई समुचित व्यवस्था नही है। लोग अपने घरों का कूड़ा घर के आसपास एक स्थान पर जमा कर देते हैं या फिर वह कूड़ा सड़कों में ही फेंक दिया जाता है, जिस कारण वह हवा व बारिश के समय नदी में चला जाता है। जिससे जलीय जैवविविधता को भी नुकसान पहुँच रहा है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम नौवा अव्वल में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ पर कुल 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। संपूर्ण कृषि भूमि का स्वामित्व केवल 600 परिवारों के पास है। जिनके द्वारा मुख्य रूप से गेहूँ, धान, जौ, बाजरा, मक्का, मूँगफली, अरहर आदि फसलें उगाई जाती हैं। रवि की फसल में मुख्य रूप से गेहूँ की फसल उगाई जाती हैं। खरीफ फसलों में धान, मक्का, मूंगफली, अरहर, बाजरा आदि मुख्य फसलें हैं तथा कछियाना (मिश्रित सब्जी उत्पादन) वर्ष में प्रत्येक ऋतु में की जाती है। 80 परिवार नदी तट पर कृषि करते हैं। नदी तट कृषि में मुख्यतः परवल, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, कदद्, अजवाइन आदि की खेती की जाती हैं। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए फसलों में मुख्यतः डी0ए0पी0, एन0पी0के, पोटाश और यूरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। जबकि कीटों से बचाव करने हेतु बारूद, पोराजीन, टैफगोर, क्रान्ति आदि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है।

ग्राम पंचायत में पशुधन काफी संख्या में है। जिसमें अमेरिकन/जर्सी प्रजाति की 300 गाय, 200 भैसें, तथा 1000 बकरियाँ शामिल हैं।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

जनपद गोरखपुर की जलवायु आर्द्र एवं शुष्क है, यहाँ पर औसतन अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जनपद में औसतन वर्षा 727.44 मि0मी0 तक होती है। सिंचाई व पेयजल हेतु मुख्य स्रोत नदी का पानी है, नदी तट पर कृषि के लिये गाँव के लोग मोटर के जरिए सिंचाई हेतु पानी निकालते हैं। साथ ही सिंचाई के लिये धुर्रा नाला, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के पानी का भी उपयोग किया जाता है।

2.9 ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएँ

ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग से आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। हाइवे से यहाँ तक पहुंचने के लिए साइकिल, बाईक, आटो आदि का प्रयोग किया जाता है। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन गांव से 18 किमी0 दूर जिला मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसके अलावा ग्राम के आसपास स्थित मूलभूत सुविधाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6 किमी0 की दूरी पर एवं बैंक 5 किमी0 की दूरी पर स्थित है। डाकघर गाँव में ही स्थित है। 1230 परिवारों के पास ईंधन हेतु एल0पी0जी गैस की व्यवस्था है जिसमें से 312 परिवारों को उज्जवला योजना के तहत एल0पी0जी0 गैस प्राप्त हुई है। इसके साथ ही पशुधन की प्रचुरता के कारण ईंधन हेतु लगभग 150 परिवार गोबर के उपलों तथा लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं। 20 परिवारों के द्वारा खाना पकाने हेतु बिजली का प्रयोग भी किया जा रहा है।

मूलभूत सुविधायें	नाम / स्थान	गाँव से दूरी
नजदीकी प्राथमिक स्वाथ्य केंद्र	बेलवार	6 कि0मी0
नजदीकी बैंक	मिर्जापुर	5 कि0मी0
नजदीकी पोस्ट ऑफिस	नौवा अव्वल	200 मी0 (पंचायत घर से दूरी)
नजदीकी पुलिस स्टेशन	खोराबार	8 कि0मी0
नजदीकी सस्ते गल्ले की दुकान	नौवा अव्वल	200 मी0 (पंचायत घर से दूरी)
सड़क नेटवर्क	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1 कि0मी0
रेलवे स्टेशन	गोरखपुर	18 कि0मी0
बस स्टेशन	गोरखपुर	18 कि0मी0

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

गाँव नौवा अव्वल में वन भूमि का क्षेत्र कम है, परंतु वन विभाग द्वारा समुदाय के सहयोग से गांव से 500 मी0 की दूरी पर स्थित मलैनी बाँध के आसपास आम, जामुन, यूकेलिप्टिस, आँवला, नीम आदि का रोपण किया गया हैं। पंचायत क्षेत्र में मुख्यतः कीकर, सागौन, खैरी, बाँस, शीशम, के वृक्ष देखे जा सकते हैं। साथ ही जंगली जानवरों में नीलगाय, सियार, जंगली सुअर, मोर आदि प्रमुख हैं। नदी के पास मुख्यतः दूब घास, काँस, आदि पाई जाती हैं। जलीय जैवविवधिता बहुत समृद्ध है जिनमें मछलियां, कछुये, साँप, मेंढ़क, गांगेय डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जलीय जीव तथा प्रवासी पक्षी भी पाये जाते हैं। अधिकतर परिवारों के पास एल0पी0जी0 गैस कनैक्शन है, कुछ परिवारों के द्वारा ईंधन हेतु लकड़ी और चारे हेतु घास नदी के किनारे और कृषि भूमि से लाया जाता है।

2.11 समुदाय की राप्ती नदी पर निर्भरता

ग्राम पंचायत नौवा अव्वल में लगभग 35 परिवारों द्वारा मुख्यतः नदी के 2 कि0मी के क्षेत्र में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इन परिवारों की नदी पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता है। 80 परिवार नदी तट पर कृषि से अपनी आजीविका कमाते हैं। जिसमें सब्जियाँ, फल, धान, गेंहूँ इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं, जिसकी सिंचाई हेतु जल भी नदी से मोटर के द्वारा खींचा जाता है। गाँववासियों का धार्मिक पूजा पाठ और संस्कारों के माध्यम से भी नदी से जुड़ाव है। कृषि के लिए उपयोगी सिंचाई जल के साथ ही नदी में बाढ़ के समय बहकर आने वाली लकड़ियों का प्रयोग समुदाय द्वारा ईंधन के रूप में किया जाता है। 10 नाविक परिवार नदी में नाव चलाकर अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। नदी के किनारे रेतीली भूमि पर कृषि की जाती है, कुछ परिवारों के द्वारा अपनी आय के साधन के रूप में नदी से रेत निकालने का कार्य भी किया जाता है।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

ग्राम पंचायत नौवा अव्वल में जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) गठित है, परंतु सक्रिय नहीं है। वन विभाग द्वारा समुदाय के सहयोग से गांव के आसपास वृक्षारोपण किया गया है। वर्तमान में एन0एम0सी0जी–ड्ब्ल्यू0आई0आई0 द्वारा संचालित परियोजना के माध्यम से यहाँ पर नदी व जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता गतिविधियाँ की जा रही हैं।

2.13 ग्राम में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

ग्रम में चल रहे कार्यक्रमों एवं समुदाय आधारित संस्थाओं का विवरण एवं संख्या निम्नवत है।

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वंय सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	11 समूह 130 सदस्य	
2	मनरेगा		ग्रामीण रोजगार	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 546	निर्माण कार्य
3	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	3 आंगनबाड़ी केन्द्र	32 बच्चे व 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
4	स्वच्छ भारत मिशन		शौचालय निर्माण	250 परिवार	
5	उज्जवला योजना		निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरण	312 परिवार	

भाग -3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैवविविधता एवं राप्ती नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, स्थानीय समुदाय (विशेषकर महिलाएँ एवं युवा वर्ग), स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व नदी की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

- स्थानीय समुदाय
- विद्यालयों के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- नाविक व मछुआरा समुदाय
- कृषक समुदाय
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण – स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व, NRLM,
- विभिन्न शोध एवं अन्य संस्थायें।
- केन्द्रीय मंत्रालय – जलशक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव, शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। राप्ती नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्संबंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र राप्ती नदी की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। राप्ती नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंर्तनिर्भरता को समझाने एवं राप्ती नदी के संरक्षण के प्रयासों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

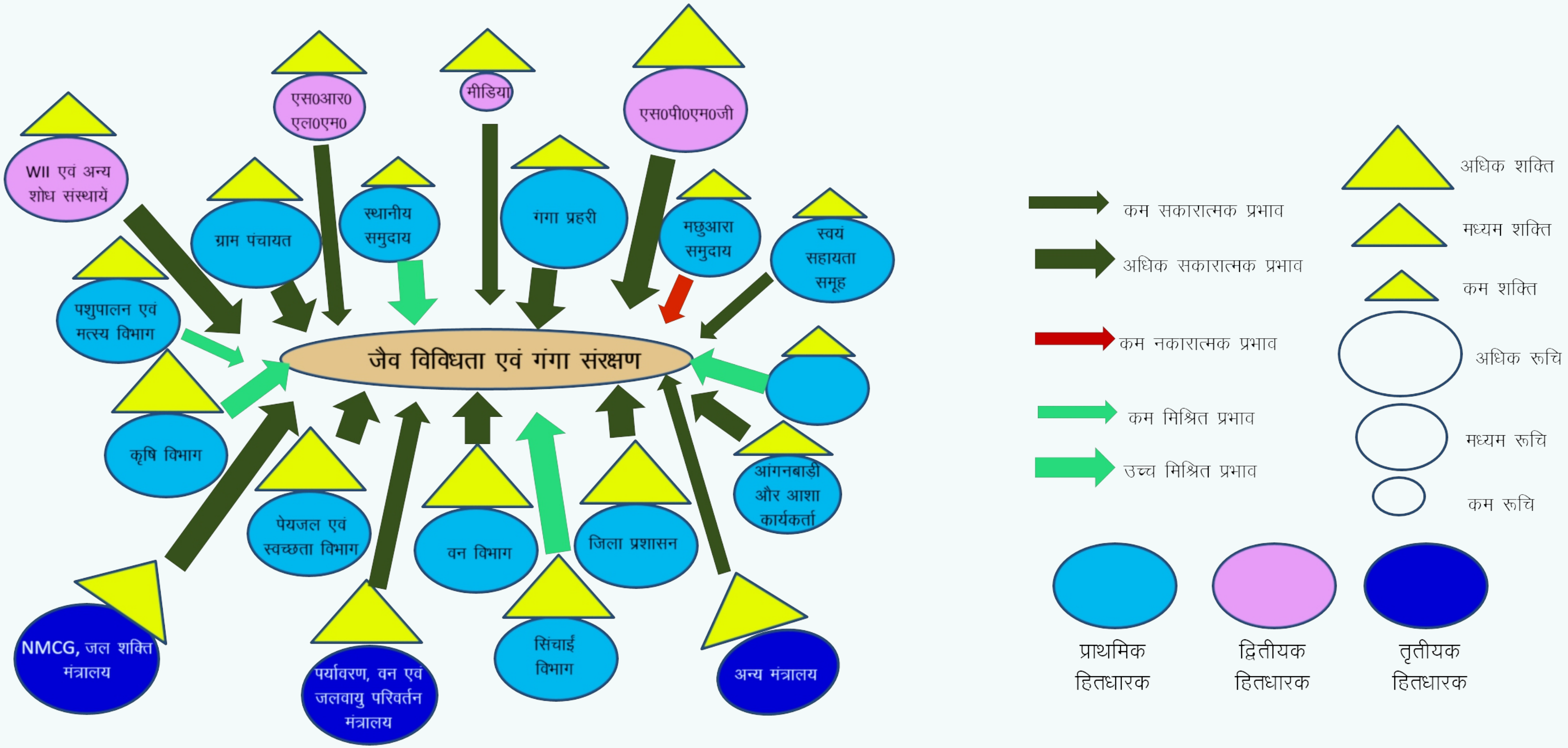

चित्र संख्या 1 – हितधारक मानचित्रण

भाग -4 समस्या विश्लेषण

4.1 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत नौवा अव्वल की मुख्य समस्या समुदाय में जागरूकता का अभाव है। ग्राम समुदाय में स्वच्छता, नदी और जलीय जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का पूर्णतया अभाव है। यहाँ पर आजीविका हेतु केवल 35 परिवारों द्वारा मछली का शिकार किया जाता है। जिसके लिये कटिया तथा फाना जाल आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गांव के पास बाहर से आये लोगों के द्वारा मछली के शिकार के लिये महाजाल का प्रयोग किया जाता है। मछली के शिकार के दौरान अन्य जलीय जीव भी जाल में फंस जाते हैं जिनके बचाव के बारे में ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं है। जागरूकता की कमी की वजह से इन जीवों के बचाव के बारे में कोई उत्सुकता भी नहीं हैं।

यहाँ पर पाये जाने वाले प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार की घटनायें भी सामने आई हैं। जिनकी निगरानी और उनके महत्व के संबंध में भी समुदाय में कोई जागरूकता नहीं है।

गाँव के कुछ परिवारों का गंदा पानी सीधे तौर पर राप्ती नदी में प्रवाहित होता है। पूरी ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। राप्ती नदी के किनारे बसे समुदाय द्वारा कूड़ा नदी किनारे डाला जाता है, जो बाद में वर्षा या हवा के माध्यम से नदी में प्रवाहित हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मूर्ति, कपड़ों एवं पूजा सामग्री आदि का विसर्जन भी लोगों के द्वारा नदी में किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत में 600 परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं। जिनके सदस्य खेतों, नदी किनारे, बाँध के किनारे तथा रास्तों के किनारे शौच के लिये जाते हैं जो नदी प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। 600 परिवारों के लिए केवल एक सार्वजनिक शौचालय निर्मित है लोगों की संख्या को देखते हुए शौचालयों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।

कुछ परिवारों द्वारा आजीविका हेतु रेत खनन का कार्य किया जाता है। हालांकि यह काफी कम मात्रा में किया जाता है परंतु खनन के कारण कछुओं के प्रजनन व आवास क्षेत्र को हानि हो रही है।

कृषि में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग भी प्रदूषण का एक बड़ा कारक है। 80 परिवारों द्वारा नदी तट पर भी कृषि की जाती है जिसके कारण जलीय जीवों विशेषकर कछुओं के प्रजनन स्थल का ह्रास होने के साथ ही इसमें डाले जाने वाले रासायनों से नदी प्रदूषण हो रहा है।

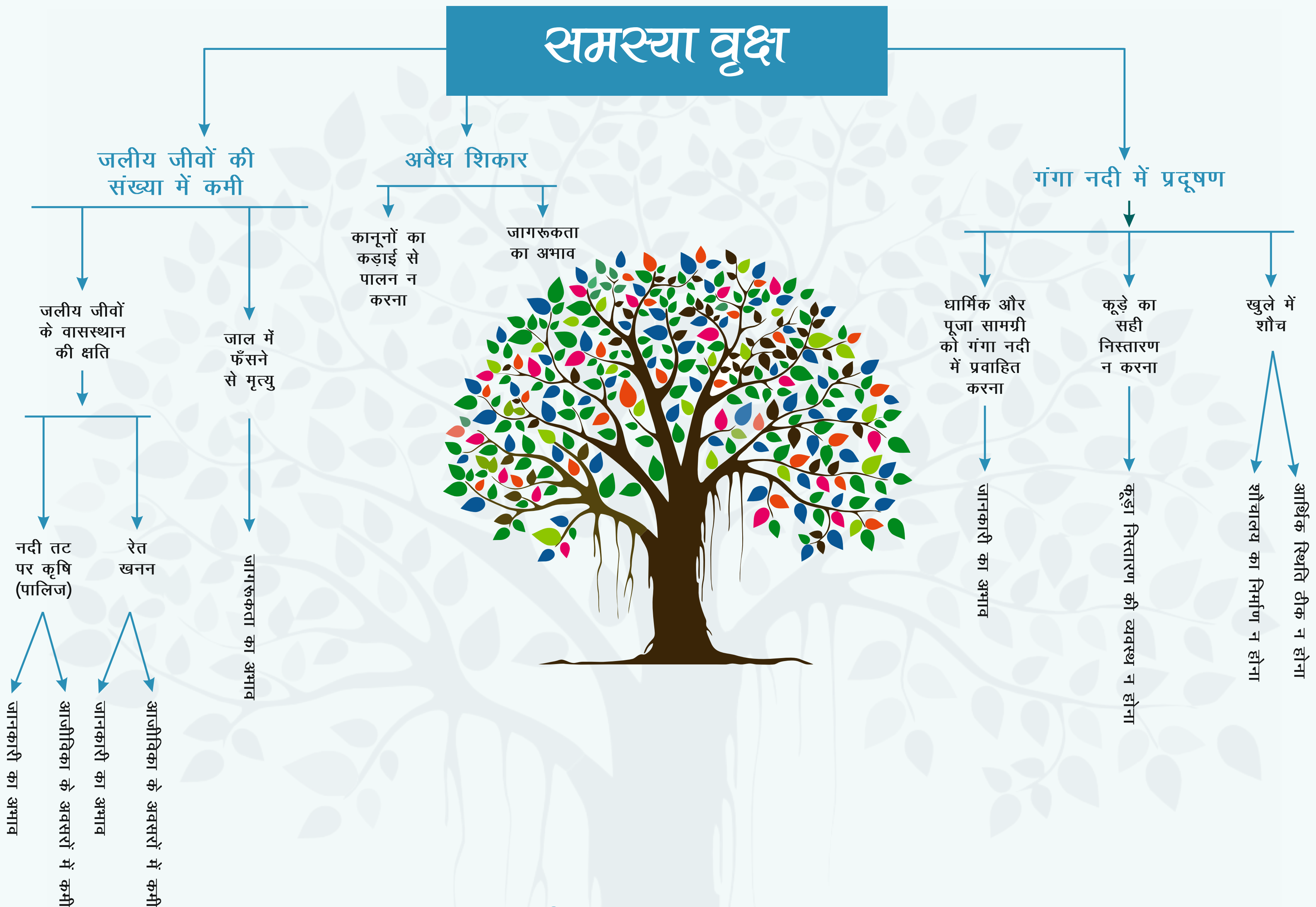

चित्र संख्या 2 – समस्या वृक्ष

भाग - 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उद्देश्य राप्ती नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं इनकी स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की निरन्तरता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्देश्य –

राप्ती नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

- राप्ती नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।
- प्रवासी पक्षियों के शिकार पर रोक के लिये जागरूकता एवं निगरानी तंत्र विकसित करना।

नदी की जैवविविधता एवं नदी पर समुदाय की निर्भरता के आधार पर गांव का चयन

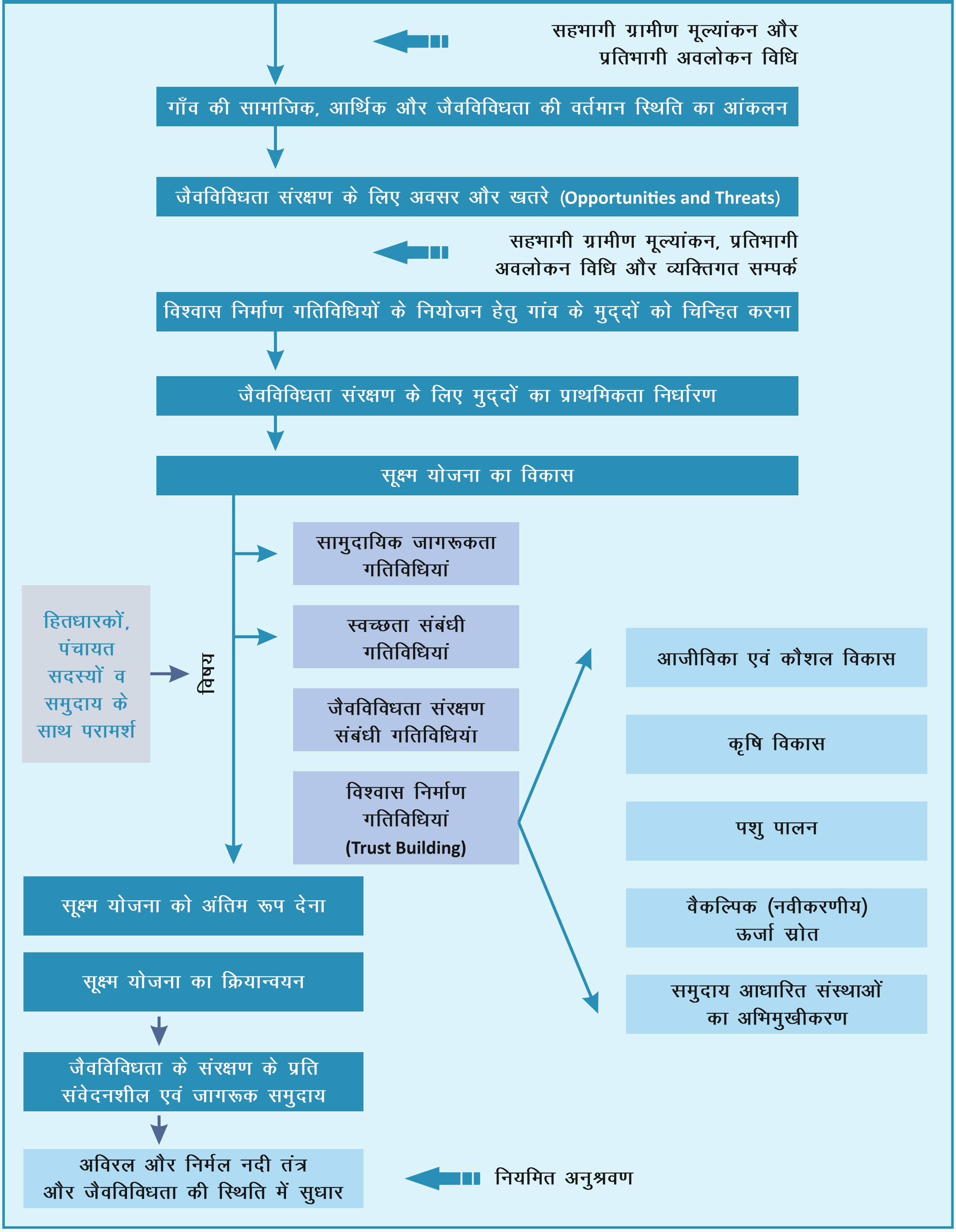

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति तथा समन्वयन

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत नौवा अव्वल में स्वच्छता और जलीय जीवों के संरक्षण संबंधी जागरूकता का पूर्णतः अभाव है। समुदाय में बैठकों, चर्चा तथा कार्यशालाओं के बाद नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, जैविक कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन संबंधी जागरूकता गतिविधियां संचालित करने पर सहमति बनी। ग्राम पंचायत में निम्न जागरूकता गतिविधियां की जायेंगी।

1. नदी, तालाब, पोखरे के महत्व एवं संरक्षण के बारे में समुदाय में जागरूकता अभियान का आयोजन।
2. नदी की जैवविविधता के महत्व तथा स्वच्छता संबंधित मुददों पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन।
3. समुदाय को खुले में शौच के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जागरूक करना।
4. घाटों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन।
5. जैविक खेती एवं जैविक खाद के लाभ पर जागरूकता।
6. जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व अन्य हितधारकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।
7. जागरूकता हेतु समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक आदि कार्य करना।
8. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिये प्रशिक्षित करना।
9. गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें एवं उनका योगदान

ग्राम पंचायत में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 11 स्वंय सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को बैठकों, कार्यशालाओं के माध्यम से जलीय जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी। जिससे वे संरक्षण कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभा सकें।

1. समूह के सदस्यों के साथ जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन।
2. समूह के सदस्यों के संवेदीकरण के लिये उनके साथ विभिन्न प्रशिक्षणों, स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का आयोजन।
3. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/विकास खंड के संबंधित अधिकारियों के समन्वय से समूह के कार्यों में जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियों को शामिल करना।

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ

नौवा अव्वल में अधिकतर लोग कृषि व पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में युवाओं और महिलाओं को जैवविविधता संरक्षण संबंधी कार्यों से अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिये आवश्यक है कि उनमें ऐसे कौशल का विकास किया जाये, जिससे उनकी नदी पर निर्भरता कम हो। कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय हेतु कुछ आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा जिससे समुदाय संरक्षण कार्यों में रूचि ले सके। आजीविका तथा कौशल विकास हेतु निम्न गतिविधियां की जायेंगी–

1. युवाओं खासकर मल्लाह समुदाय के लागों को वैकल्पिक आजीविका संबंधी कौशलों की जानकारी प्रदान कर उन्हें वैकल्पिक आजीविका को अपनाने के लिये प्रेरित करना।
2. बैठकों व कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।

3. स्थानीय संसाधनों पर आधारित कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. समूह सदस्यों को आजीविका संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिये प्रेरित करना।
5. स्थानीय समुदाय के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्वच्छता समिति के सदस्यों के साथ गंगा प्रहरियों का समन्वय स्थापित करने एवं ग्रामवासियों को जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने हेतु निम्न गतिविधियां की जानी हैं –

1. खुले में शौच के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक कर शौचालय निर्माण के लिये प्रेरित करना।
2. व्यक्तिगत/सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करना।
3. बैठकों, स्वच्छता अभियान आदि के माध्यम से स्वच्छता, प्लास्टिक वस्तुओं खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना।
4. कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय–समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।
5. समुदाय को अपने स्तर पर जैविक एवं अजैविक कूड़े के पृथक्करण एवं उसके निपटान के बारे में जागरूक करना।
6. गंगा प्रहरियों के द्वारा समुदाय के सहयोग से घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ

नौवा अव्वल में लगभग 150 परिवार पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं। इन परिवारों को पारम्परिक ईंधन और उसके स्वास्थ्य पर प्रभावों से अवगत कराते हुये धुआँरहित चूल्हा निर्माण व उज्जवला योजना के अंतर्गत एल.पी.जी गैस प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। जिससे लकड़ी पर निर्भरता कम होने के साथ ही जनसमुदाय खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। ग्राम में पशुओं की संख्या को देखते हुये ग्रामीणों को ईंधन के लिये बायो गैस को अपनाने के लिये प्रेरित किया जायेगा तथा संबंधित विभाग (कृषि, ग्रामीण विकास) से इसके लिये समन्वय स्थापित किया जायेगा।

6.6 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ

ग्राम नौवा अव्वल में अधिकतर परिवार कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। किसानों के द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिये खेतों में रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य के साथ ही नदी में रहने वाले जलीय जीवों को होने वाली हानि के प्रति समुदाय को जागरूक किया जाना आवश्यक है। नदी किनारे कृषि करने से जलीय जीवों के निवास स्थल तथा प्रजनन स्थल पर भी संकट पैदा हो रहा है। कृषि विकास संबंधी निम्न गतिविधियाँ ग्राम में की जायेंगी–

1. रासायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. किसानों को नदी तथा जैवविविधता के संरक्षण के लिये उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिये प्रेरित करना।
3. जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
4. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी देना।

6.7 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ

नौवा अव्वल में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। यहाँ पर लगभग 300 परिवारों के पास पशु हैं। पशुपालन से आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिये निम्न गतिविधियां की जायेंगी।

1. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बायफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।
2. चारे हेतु सामुदायिक/व्यक्तिगत भूमि पर चारा पत्ती वाले पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करना।

6.8 मत्स्य जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ

1. नाविकों तथा मछुआरों के साथ समय समय पर जलीय जैवविविधता के महत्व के बारे में चर्चा।
2. मछुआरों को सही जाल के प्रयोग के लिये प्रेरित करना।
3. विभाग के साथ मिलकर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन।

6.9 जैवविविधता एवं आवास पुनर्स्थापन गतिविधियाँ

नदी की स्वच्छता में जलीय जीवों के द्वारा दिये जाने वाले योगदान के बारे में जागरूक करते हुये समुदाय को नदी एवं उसके आसपास की जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रेरित किया जायेगा। गंगा प्रहरियों के माध्यम से नदी व उसके आसपास स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की जायेंगी। जैवविविधता संरक्षण हेतु गाँव में निम्न कार्य किये जाने हैं –

1. नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
2. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।
3. अवैध शिकार पर रोक के लिये वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं इसके लिये निगरानी तंत्र को तैयार करना।
4. कूड़ा निस्तारण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेना। संबंधित विभागों के सहयोग से ग्राम पंचायत में कूड़ा प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कार्य करना।
5. नदी व जल स्रोत के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु गंगा प्रहरियों और स्थानीय निवासियों को जागरूक करना।
6. रेत का खनन करने वाले परिवारों के साथ संपर्क कर उन्हें वैकल्पिक आजीविका को अपनाने के लिये प्रेरित किया जायेगा इसके लिये उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रशिक्षणों में शामिल किया जायेगा।
7. जैवविविधता संरक्षण संबन्धित कार्यों, अभियानों में समुदाय तथा समूह सदस्यों को शामिल करना।
8. तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य करना। समुदाय को व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा के निर्माण के लिये प्रेरित करना।

6.10 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण	वन विभाग
3.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, WISE,HESCO आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ विकासखंड कार्यालय
5.	वैकल्पिक ऊर्जा	यू0पी0 नेडा, उज्जवला योजना आदि
6.	मछली के शिकार से संबंधित जागरूकता तथा मछुआरों से संबंधित योजनाओं की जानकारी	मत्स्य विभाग

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1	नदी, तालाब, पोखरे के महत्व एवं संरक्षण के बारे में समुदाय में जागरूकता अभियान का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	नदी की जैवविविधता के महत्व तथा स्वच्छता संबंधित मुददों पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	समुदाय को खुले में शौच के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
4	घाटों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
5	जैविक खेती एवं जैविक खाद के लाभ पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व अन्य हितधारकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	जागरूकता हेतु समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक आदि कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिये प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
10	समूह के सदस्यों के साथ जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
11	समूह के सदस्यों के संवेदीकरण के लिये उनके साथ विभिन्न प्रशिक्षणों, स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/विकास खंड के संबंधित अधिकारियों के समन्वय से समूह के कार्यों में जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियों को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
13	युवाओं खासकर मल्लाह समुदाय को वैकल्पिक आजीविका संबंधी कौशलों की जानकारी प्रदान कर उन्हें वैकल्पिक आजीविका को अपनाने के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
14	बैठकों व कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	स्थानीय संसाधनों पर आधारित कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
16	समूह सदस्यों को आजीविका संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	स्थानीय समुदाय के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
18	खुले में शौच के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक कर शौचालय निर्माण के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
19	व्यक्तिगत/सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	बैठकों, स्वच्छता अभियान आदि के माध्यम से स्वच्छता, प्लास्टिक वस्तुओं खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
21	कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय–समय पर विषेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	समुदाय को अपने स्तर पर जैविक एवं अजैविक कूड़े के पृथक्करण एवं उसके निपटान के बारे में जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
23	गंगा प्रहरियों के द्वारा समुदाय के सहयोग से घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
24	पारंपरिक ईंधन का प्रयोग करने वाले परिवारों को धुआँरहित चूल्हा निर्माण व उज्जवला योजना के अंतर्गत एल.पी.जी गैस प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।	विभागीय एवं संस्थागत सहयोग की आवश्यकता होगी
25	ग्रामीणों को ईंधन के लिये बायो गैस को अपनाने के लिये प्रेरित किया जायेगा तथा संबंधित विभाग से इसके लिये समन्वय स्थापित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी
26	रासायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
27	किसानों को नदी तथा जैवविविधता के संरक्षण के लिये उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
28	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
29	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
30	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी देना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
31	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बायफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी
32	चारे हेतु सामुदायिक/व्यक्तिगत भूमि पर चारा पत्ती वाले पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
33	नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
34	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
35	अवैध शिकार पर रोक के लिये वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं इसके लिये निगरानी तंत्र को तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी
36	कूड़ा निस्तारण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेना। संबंधित विभागों के सहयोग से ग्राम पंचायत में कूड़ा प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी
37	नदी व जल स्रोत के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु गंगा प्रहरियों और स्थानीय निवासियों को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
38	रेत का खनन करने वाले परिवारों के साथ संपर्क कर उन्हें वैकल्पिक आजीविका को अपनाने के लिये प्रेरित किया जायेगा इसके लिये उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रशिक्षणों में शामिल किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
39	जैवविविधता संरक्षण संबन्धित कार्यों, अभियानों में समुदाय तथा समूह सदस्यों को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
40	तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य करना। समुदाय को व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा के निर्माण के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
41	नाविकों तथा मछुआरों के साथ समय समय पर जलीय जैवविविधता के महत्व के बारे में चर्चा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
42	मछुआरों को सही जाल के प्रयोग के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
43	वन विभाग के साथ मिलकर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम नौवा अव्वल में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट ग्राम नौव्वा अव्वल

क्रम सं0	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
1	सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां			
i	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन	15	10000	150000
ii	समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान करना	5	10000	50000
iii	नुक्कड़ नाटक, कठपुतली आदि के माध्यम से जागरूकता	2	15000	30000
iv	दीवार लेखन	50	500	25000
v	घाटों को साफ रखने से संबंधित पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	2	10000	20000
				275000
2	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण			
i	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना।	5	10000	50000
ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	150000	600000
iii	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
iv	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	20000	40000
v	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व अन्य हितधारकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	2	25000	50000
vi	अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के संबंध में जागरूकता एवं प्रशिक्षण	2	25000	50000
				890000
3	प्रदर्शन एवं निर्माण			
i	प्रदर्शन (Demonstration) कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	प्राकृतिक कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन (Demonstration)	1	10000	10000
iii	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन	10	5000	50000
iv	नदी किनारे वृक्षारोपण			20000
v	स्वच्छता अभियानों का आयोजन	10	5000	50000
vi	प्रदर्शन (Demonstration) धुँआरहित चूल्हा का निर्माण	10	2500	25000
				120000
4	मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय			
i	फील्ड असिस्टेंट (5 वर्ष)	1	10000	600000
ii	यात्रा व्यय			100000
				700000
	कुल			19,85,000

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय–समय पर अनुश्रवण कार्यक्रम में कार्य कर रहे व्यक्तियों के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समुदाय आधारित संस्थाओं व गंगा प्रहरियों के माध्यम से भी कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे –

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय–समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन

7.5 विवाद का निपटारा

- ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है

- गंगा एवं राप्ती नदी की स्वच्छता संबंधी बैठकों एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियो की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरियों द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण

7.7 सफलता के सूचक

1. गंगा नदी के बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और नदियों के संरक्षण में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. ग्राम में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहां पर विभिन्न हितधारक राप्ती नदी एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
4. नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि।
9. अवैध शिकार पर नियंत्रण हेतु एक निगरानी समूह सक्रिय है।
10. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को नदी के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

अनुलग्नक 1

समझौता ज्ञापन

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिषन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैवविविधता और गंगा संरक्षण" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देष्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर नौवा अव्वल, खोराबार ग्राम पंचायत, जिला गोरखपुर राज्य उ० प्र० और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 03 / 11 / 2023 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा व उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए षामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देष्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिषा में प्रयास को दर्षाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी कैडर का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के निवासियों के लिए स्थान–विषेष, दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी पक्ष इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से

हस्ताक्षरः रुचि

नामः रुचि बडोला

पदः Dr. Ruchi Badola, Nodal Officer, Wildlife Institute of India, National Mission for Clean Ganga, Dehradun, Uttarakhand

दिनांकः

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षरः सतंराजी

नामः सतंराजी देवी w/o श्री रामरतन मिश्र

पदः ग्राम-प्रधान नौवा अव्वल

दिनांकः 03.11.2023

अनुलग्नक 2

सामाजिक मानचित्र ग्राम नौवा अब्बल

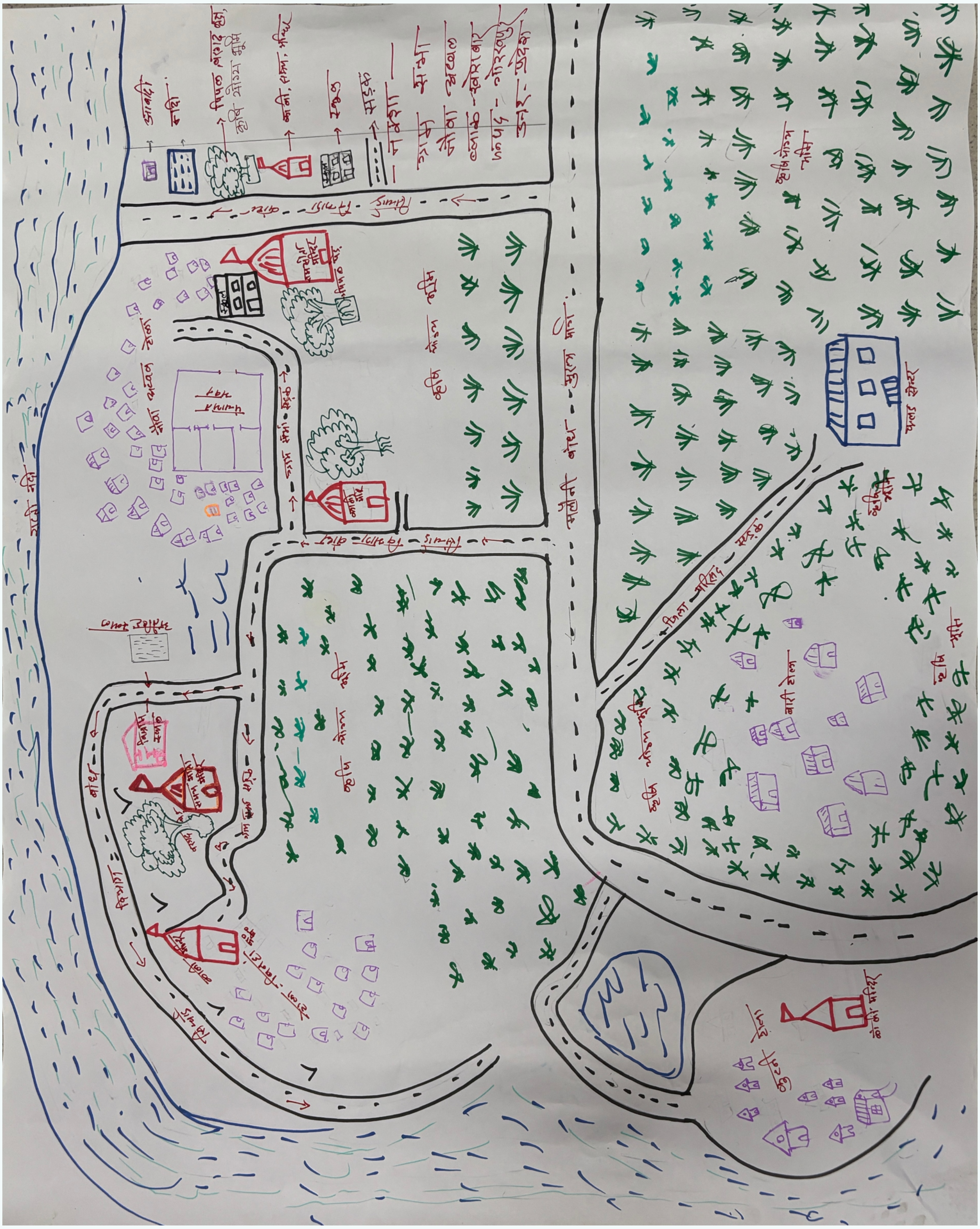

अनुलग्नक 3

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	उम्र	शिक्षा	व्यवसाय	जाति /वर्ग	हस्ताक्षर
1-	रेनू देवी	35	10	गृहणी	पांडेय	रेनू देवी
2.	पुष्पा देवी	40	5	नया अव्वल	पासवान	पुष्पा शीतल गोंड
3.	सीता	18	10		गोंड	उमा
4.	उमा	25	12	"	पासवान	अर्पिता
5.	अर्पिता	18	11	"	गोंड	सबिता
6.	सविता	19	10	"	पासवान	शोभा
7.	शोभा	20	10	"	पासवान	महिमा गोंड
8	महिमा गोंड	18	12	"	गोंड	स्मिता गोंड
9.	स्मिता गोंड	18	10	"	गोंड	
10	नेहा पासवान	18	8	"	पासवान	नेहा कुमारी
11.	अंजु पासवान	19	10	"	पासवान	अंजू कुमारी
12.	खुशबू पासवान	16	8	"	पासवान	खुशबू
13.	सोनम	19	8	"	पासवान	शोभा पासवान
14.	सजिता पासवान	24	स्नातक	"	पासवान	साजिता
15.	अनामिका गोंड	20	10	"	गोंड	अनामिका
16.	मानसी पासवान	23	D.LED		पासवान	Manashi
17.	दुर्गावती	45	5	"	गुप्ता	दुर्गावती
18.	गिरजा देवी	35	10	"	गुप्ता	गिरजा देवी
19.	शारदा देवी	50	5	"	शर्मा	शारदा
20.	तारा देवी	48	5	"	पासवान	तारा
21.	ममता देवी	25.	8	"	गोंड	ममता देवी
22.	आकाशु	75		कृषि	निषाद	
23.	सत्यनारायण	48		कृषि	पासवान	
24.	श्यामसुन्दर	40	8	मजदूरी	गोंड	श्याम सुन
25.	रंजना	33	10	गृहणी	पासवान	रंजना
26.	राधेश्याम	60	5	मजदूरी	गोंड	
27.	सुधा	30	5	गृहणी	पासवान	सुधा
28.	नगीना	52	5	"	पासवान	नगीना
29	जलधारी	62	12	कृषि	पासवान	जलधारी
30	राजेन्द्र	44	"	"	यादव	राजेन्द्र यादव
31	अमेरिकन	45	5	मिस्त्री	कहार	अमेरिकन
32	जलधारी	59	8	कृषि	पाल	जलधारी
33	प्रकाश	20	"	कृषि	[illegible]	[illegible]
34	जसवन्त	23	स्नातक	कृषि	केवट	Jaswant

फोटो गैलरी

पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय नौवा अव्वल क्षेत्र-खोराबार जनपद-गोरखपुर
श्रीमती संतराजी देवी - ग्राम प्रधान, श्री गोविन्द कुमार [सचिव], सुश्री कविता अवस्थी - सं.वि. अधिकारी
श्री इन्द्रासन निषाद (प्रधान प्रतिनिधि)
WII-NMCG PHASE II
गंगा नदी के बेसिन में जलीय जीव के संरक्षण एवं परिस्थितिकीय सेवाओं के रखखाव के लिए नियोजन एवं प्रबंधन

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean _ganga

National Mission for Clean Ganga,
Ministry of Jal shakti

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Wildlife Institute of India
Chandrabani, Dehradun-248001, Uttarakhand

GACMC / NCRR

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre/
National Centre For River Research
Wildlife Institute of India, Dehradun
nmcg@wii.gov.in